pan>

Title: The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 25, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र (संशोधन) विधेयक, 2022 – माननीय मंत्री जी ।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने वक्तव्यों को संक्षिप्त में रखें । पांच बजकर पंद्रह मिनट पर मंत्री जी वक्तव्य देंगे और साढ़े पांच बजे मैं अपनी बात को कहूंगा ।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 be taken into consideration."

I am moving this amendment Bill with the intention of having a world-class Arbitration Centre in India. In 2009, we all are aware that we had passed the New Delhi International Arbitration Centre Act. After that, we had already established this said Centre on 13th June, 2022.

16.34 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

In this regard, we have started a process of the appointment of Chairperson. In the meantime, as the situation is dynamic, and we see the situation globally, we felt that an amendment is very important to ensure that the objective of the Act which we have passed is taken to its

logical end. In the process, we are today making a very, very short amendment. The proposal of today's amendment is one, the name of New Delhi International Arbitration Centre be changed to India International Arbitration Centre and two, enable the New Delhi International Arbitration Centre to specify, by way of regulations, the manner of its discharge of various functions.

As the hon. Speaker has given us a very limited time, I would be responding to the queries and observations made by the hon. Members. I would like to explain in detail, whatever is possible, while I respond to the debate in the end. I would like to tell the hon. Members that this is a very specific Bill with a specific objective to ensure that India becomes an international hub of arbitration. As the country is growing, we would like our business to grow, and in the process the support and views of all the hon. Members are important. So, I expect that without much objection all the Members will support this Bill unanimously.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amar Singh to open the discussion. Please be brief.

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I will be very brief.

As the hon. Minister has explained, the amendment in the 2019 Act has been brought before the House, firstly to change the name of New Delhi International Arbitration Centre to India International Arbitration Centre, and secondly, to bring an amendment in Section 15 to frame rules and regulations to run the Arbitration Centre. Arbitration is a good

alternative to disposal of cases or you can say dispute resolution. It has been going on in the country before Independence, even before the British era. Our elders, panchayats, all used to follow it. Britishers tried to bring laws in this regard in 1889, and 1940. The Government of India had also brought a law in 1995 with regard to establishment of an International Centre. The New Delhi International Arbitration Centre Act came in 2019. We all support having the Arbitration Centre and having an alternative mechanism for disposal or resolution of disputes between parties. Principally, it is a very good thing but there is a question, which I think has not been addressed in the amendment. We all know what has happened in the last 75 years or even before that. Sir, your Government has formed Srikrishna Committee, which gave its report. Before that, there were two very strong judgements given by the Supreme Court, in 1989 and 2009. In 2009, there was the Supreme Court judgement in the Union of India vs M/s Singh Builders Syndicate, and it was said that there were very unfortunate delays, high cost, frequent and sometimes unwarranted judicial interruptions at different stages which were seriously hindering the growth of arbitration in India. This is the Supreme Court Judgement given in 2009. Srikrishna Committee Report also tells us the same thing; we do not have statutory back up; there is a lack of experts in the country; and generally, the Arbitration Tribunals do not stick to the cap on time for the disposal of cases. Various departments in the Government of India and State Governments appoint their own officers as arbitrators which leads to litigation.

In contrary to the belief that arbitration perhaps is the end of the issue, unfortunately, in India, as the order is not mandatory and binding, people can still go for appeals -- अपील-दर-अपील, अपील-दर-अपील.

Unfortunately, we all know, there are over four crore cases pending in various courts of the country. You are a Law Minister and you would be knowing much more than me. So, we have to bring some end to litigation and arbitration.

We are supporting everything. But I would like to make two or three suggestions here. At least, certain legal or civil disputes could have only been delegated to this India International Arbitration Centre. There should be some clause in the law that the order would be mandatory. There should also be a clause in the law that there would be one or two appeals to the hon. High Court or hon. Supreme Court and the litigation cannot go on. There is no binding and you are keeping it still open. In 1995, there were three International Centres in the country which were already operational in Mumbai, Delhi and in some other place. Not many results are coming. People are preferring Singapore International Arbitration Centre as a centre for arbitration. Why are they preferring Singapore International Arbitration Centre? It is because the orders are mandatory, international experts are sitting on those Tribunals, and the disposal of cases is quite quick. Even Indian businessmen and corporates are all going to Singapore for their disposal of cases. But we are not touching upon those issues because of which people are going outside the country. People are going to Paris and London.

Your intention is very good. But I do not find anything in the amendment which would really lead to a solid result in the country. That is what my point is. The name changing is good. New Delhi could have given a city-centric impression. That is good. But what happens to the orders. There is not finality of the order. There is no time-limit. In the Act, you have given a period of sixty days. But no order is passed in sixty days. What is the provision to finish it in sixty or seventy days? I

mean, there are so many practical problems in the arbitration issue. Unless we take up all those issues, by simply changing the names, I do not think that it will work.

Especially in disputes resolution, the real sufferers are the weaker sections of the society and also, those people with less money and those who are not big corporates because they cannot afford those lawyers who go to London and Singapore.

Please bring this law again and bring those amendments which are really needed to make this law effective. Thank you, Sir.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं बहुत ही ब्रीफ में बोलूँगा । माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वाले स्टेप को आज हमारे कानून मंत्री रिजीजू जी द्वारा उठाया गया है । मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति जी, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अब इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा । वर्ष 1952 से सरकारें चल रही हैं । मैं अमर सिंह जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था । जूडिशियरी जिस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन वह मजबूत नहीं हुई । अगर जूडिशियरी मजबूत होती तो हमारे देश के अंदर आज भी अदालतों के अंदर दो करोड़ केस लंबित पड़े हुए नहीं होते । आर्बिट्रेशन के जो मामले होते हैं, वे जूडिशियरी के होते हैं और दूसरे, सिविल के होते हैं, क्रिमिनल वगैरह नहीं होते हैं ।

इन केसों को समाप्त करने के लिए लोगों को 10-15 साल तक अदालतों में धक्के खाने पड़ रहे हैं । आर्बिट्रेशन के माध्यम से ये केस सोर्ट आउट हो जाएं, वह तो ठीक है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के तहत विश्व का केंद्र आज यह बन रहा है । इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, जैसा अमर जी ने दोहराया भी था कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को हमारी कंट्री से और दूसरी कंट्रीज़ से भी सिंगापुर

जाना पड़ता है । इसके पीछे कारण क्या रहा? जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुडिशियरी को देना चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पाया । जो जगह मिलनी चाहिए, वह लंबे समय तक नहीं मिल पाई । इसका नाम न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम से लोग समझते होंगे कि यह दिल्ली या राज्य के ही आर्बिट्रेशन के मामलों को निपटाने में सक्षम होगा । साइक्लोजिकली भी इंटरनेशनल लेवल के लोगों पर इसका फर्क पड़ता है । हमारे देश में लेजिस्लेशन, जुडीशियरी और एजुकेशन, इन तीन संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की संचालना होती है । 1980 का दशक अगर याद करें तो वह काला अध्याय ही कहा जाएगा । 1980 के दशक में तब की प्रधान मंत्री जी ने अदालतों को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया । जो मैरिट है, उस मैरिट से छोड़कर अपने जूनियर चहेते लोगों को, अभी देश में शोर मचा था जिसमें अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हुआ था, वह उन्हीं प्रकार की सरकारों द्वारा ऑब्लाइज किए हुए लोग एहसान उतारने के लिए अवार्ड वापस कर रहे थे । उनके जूनियर लोगों को सीनियर के ऊपर जज बनाने का मामला आया तो जुडिशियरी को वर्ष 1993 में आदेश करना पड़ा । उस आदेश के तहत जज भी हम ही अपॉइंट करेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति को वर्ष 1980 में धक्का लगा । मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अगर बात करूं, तो वहां पर जजेज़ के पास उनके कानून, जो वे मुकदमे लड़ रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए, हम बात करें उनके स्टाफ की, इन्फ्रास्ट्रक्चर की, तो वे आज भी पूरे नहीं हैं । राज्यों में जाकर कई अदालतों में देखेंगे कि जजेज़ के दफ्तरों में एसी तक नहीं है । ये जो सिविल मैटर्स हैं, आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाये जाएं और जल्द तरीके से निपटाये जाएं, इसीलिए इसका नाम बदलकर यह रखा गया, जिस पर मैं बाद में आऊंगा । आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, आर्बिट्रेटर की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं, वे लोगों को समय पर न्याय देने में सक्षम नहीं थीं ।

इससे एक मैसेज चला गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड । जस्टिस डिले हो रहे हैं, तो लोग यह समझकर बैठ जाते थे कि 10 साल, 15 साल हो गए । अगर 15 साल के बाद अगर न्याय मिला तो वह न्याय न के बराबर ही हो गया । ऐसी स्थिति देश में लंबे समय तक बनी रही । इसके जिम्मेदार कौन हैं, यह

भी पूरा देश जानता है । 66 वर्ष तक राज करने वाले लोग इसके जिम्मेदार हैं । जुडिशियरी को इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई तो आर्बिट्रेशन वर्ष 1995-96 में बनाया गया । उससे पहले इतने लंबे समय तक वर्ष 1940 का अंग्रेजों का बनाया हुआ आर्बिट्रेटर कानून देश के अंदर चल रहा था ।

माननीय सभापति : रमेश बिधूड़ी जी ।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मुझे पांच मिनट बोलने दीजिए ।

माननीय सभापति : पांच मिनट हो गए ।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मैं आपसे पांच मिनट और मांग रहा हूं । मेरी पार्टी के दूसरे सदस्यों का टाइम मुझे दे दीजिए ।

माननीय सभापति : यह पार्टी का टाइम नहीं है, स्पीकर का डायरेक्शन है ।

श्री रमेश बिधूड़ी: मैं कह रहा था कि स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर की व्यवस्था न होने के कारण से, लोगों को वरीयता के आधार पर व्यक्ति को उनके सिविल मैटर्स के अंदर जो न्याय मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इसका नाम बदला जा रहा है ।

अब मैं असली पाइंट पर आता हूं कि इसका इंडिया इंटरनेशनल नाम रखने का लॉजिक क्या रहा होगा? मैं दोहराना चाहता हूं कि यह माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल नाम से भारत में अगर बनेगा, भारत में जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर सैक्टर 24, द्वारका में माननीय प्रधान मंत्री जी ने बनाया, जहां भारत के पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके डिस्प्यूट्स हैं, वे सोर्ट आउट कराने के लिए क्यों सिंगापुर जाएं, क्यों लंदन जाएं और बाहर की कंपनी क्यों न इंडिया में आए? अगर यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इंटरनेशनल्स का नाम पूरी दुनिया में जाएगा । ग्लोबलाइजेशन के तहत बड़ी कंपनीज़ अपने आर्बिट्रेटर, क्योंकि दो पक्षों में झगड़ा होता है, तो आर्बिट्रेशन के अंदर एक जज उसके अनुसार हो, एक जज दूसरे के अनुसार हो और एक जज

तीसरे के अनुसार हो । इसमें यह व्यवस्था होती है कि तीनों मिलकर उस समस्या को सुलझा लें ।

अगर वे यहां आएंगे, हमारे यहां के लोगों को चाहे होटल हो, एयरपोर्ट या ड्राइविंग के बारे में बात हो, बाहर की इकोनॉमी हमारे देश में आएगी । भारत की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है, उसके अनुसार भारत आने के लिए प्रयास करेंगे । भारतीय इकोनॉमी को बाहर की मुद्रा अच्छी खासी संख्या में मिलेगी ।

माननीय कानून मंत्री जी ने इस कानून को लाने की बात की है । मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगा । आर्बिट्रेशन के अंदर जो मुकद्दमें चल रहे हैं या जो मुकद्दमें लंबित पड़े रहते हैं, वे कम से कम टाइम बाउंड होने चाहिए ।

जो मुकद्दमें अदालतों के द्वारा आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटरों के माध्यम से मुकद्दमें लंबे समय तक लटकते रहते हैं । आर्बिट्रेशन के मुकद्दमें समय सीमा में निपटने चाहिए । धन्यवाद ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I shall be very brief. There is something known as `superfluous legislation'. इस लेजिस्लेशन की दरकार नहीं है । This is such a legislation. This Government does not know its mind. In 2019, Shri Ravi Shankar Prasad, who is now a Member and was then the Minister of Law and Justice, converted the name `International Centre of Alternative Dispute Resolution' into `New Delhi International Arbitration Centre'. Now, Shri Rijiju, who is the Law Minister, though he is not a practising lawyer himself like Shri Ravi Shankar Prasad, wants to leave his stamp on the Ministry and so has called this `International Arbitration Centre Act'. Sir, the moot question is that there is neither any objection, nor any support. It is because, as I said, it is a superfluous legislation. Has the Government been able to make India centre of arbitration? Singapore is such a small place, a city State, but one will find that most of the companies go for international arbitration to Singapore, including the Ambanis and the Adanis. They

have got international connections and they go to Singapore? Why has the Government not made any progress in the last three years to make New Delhi a major centre of arbitration? This is because arbitration is an alternative way. In our country, courts take years and years to decide on a case. Courts are there only to benefit lawyers, not the litigants. So, arbitration is a shorter form. If it is a perfect law or not, I do not know. They appoint a retired judge as an arbitrator and judges as arbitrators make more money, than they used to make as judges. … (*Interruptions*) Ultimately when the arbitration award comes, then somebody goes again in litigation to court. So, I would like to know from the hon. Minister – you are changing a name, that is all right. You will leave your stamp on the Ministry – what it is that the Government is doing to make India a better centre for international arbitration. Which are the companies that are there? Now, there are big law farms like Khaitan and company; Amarchand Mangaldas. These companies are there and people go to them. But none of the top international law farms has set up big offices in India. Our big lawyers have gone abroad. Shri Harish Salve, who often pleads for this Government, stays in London and sometimes does his pleading through video conferencing.

I would like the hon. Minister to develop this arbitration as an alternative. This will reduce the burden on the courts. It will give quick relief to litigants.

With these words, I say again that I have nothing to say either in favour of the Bill, or against the Bill.

Thank you.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the New Delhi International Arbitration

Centre (Amendment) Bill, 2022.

There is no doubt that we require a Bill of such a nature. We definitely need an International Arbitration Centre in India. Right now, the disputes that exist which go into several thousands of crores of rupees are being heard in Singapore because we do not have a robust arbitration mechanism in India. This Bill was actually brought in 2019 and in that Bill, they had said that the Act will allow the Central Government to make provisions for removing any difficulty in implementing the Act up to two years. From 2019, within three years, they have found that they have several drafting errors in this Act. The lackadaisical manner in which they have been preparing the Bills has already been referred to by the Supreme Court Chief Justice. He has said that the Parliament is passing Bills without taking complete details into consideration and there is not adequate number of debates happening or referring them to the Standing Committees to make sure that the Bill has all the provisions which need to be taken into consideration. The CJI of Supreme Court has mentioned that passing Bills without all these considerations creates havoc in the judicial system. The judges are facing immense trouble in interpreting these Bills and subsequently, we come back. It is very sad to note that a Bill which was brought in 2019 is brought again for an amendment within three years. Can we not even make a Bill which can last for at least a few decades before you want to seek an amendment?

Similarly, we have seen problems with the farm Bills and other Bills which the Government has brought in without taking into consideration the Opposition voices or the voices of the people.

I request that the Government may take adequate time to ensure that all the provisions are contained in this Bill.

In this Bill, we are not talking about any provision. We are only talking about international arbitration where these disputes involve several thousands of crores. But there are many companies which have disputes which can be much meagre. It can be about fifty crores or ten crores who cannot afford to go to these kinds of Centres. I would request for some kind of an arbitration provision for those people.

Similarly, when we are asking people to keep shifting from Chennai to Delhi every time, travelling and other things are becoming a problem. In fact, our hon. Chief minister has also asked for a Supreme Court Bench to be constituted in Chennai. I would request the Minister of Law to consider that so that a Bench may be made available in Chennai, and, if possible, in regions like Kolkata and Mumbai also.

We wish that there can be a provision for virtual arguments. During the pandemic, we have found that several courts have been functioning virtually. This can be taken as a definite positive aspect by the Minister of Law to consider.

Thank you.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I thank you for allowing me to speak on the New Delhi International Arbitration Centre Bill.

As Prof. Saugata Ray has said, there is not much in this Bill. There is just the change of name of the Centre.

I believe that this is the second or third time that we are speaking about arbitration in the last three years. We speak about it again and again but the Arbitration Centre does not come up in Delhi. No business is happening in Delhi whereas arbitration actually happens in either London or Singapore. Even the best of the lawyers are going and practising overseas but not coming to Delhi to do it.

We totally support the Bill in terms of change of name but Sir, when we speak about arbitration, we are only talking about higher level arbitration like corporates. Last time also, I spoke about it. It is not just the corporate level arbitration that is required in this country. With the number of cases that are pending in this country, there needs to be a thinking about it.

As Shri Kiren Rijiju is a very capable Minister, there should be a thought wherein we can have arbitration at the lower level also so that the pending cases are dealt with at that level itself. We have Lok Adalats and other institutions but they do not have enough power to do arbitration at the lower level. That is why, such a pendency is there in the District Courts and High Courts.

With these words, we support the Bill but we want to see some activity happening in Delhi.

Thank you very much.

17.00 hrs

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आर्बिट्रेशन करना है तो पहले हमारा जो जूडिशियल स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में केसेज पेंडिंग हैं । उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए, वह नहीं कर पा रही है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए एक डिकेड से ज्यादा समय हो गया है, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग नहीं है ।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग कई दशकों से हो रही है, लेकिन आज तक वह नहीं हो पा रही है । कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है । इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में बने, उसमें कोई दिक्कत नही है । वह बनना चाहिए, लेकिन यहां आजकल क्या हो रहा है? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, आपदा में अवसर तलाश लिया गया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं लॉ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो बड़े लॉयर्स हैं, वे लंदन में और दूसरी कंट्रीज में भी बैठकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम कर लेते हैं । लेकिन, जो हमारे यहां पर हैं, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो गरीब आदमी है उसको आज की तारीख में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है ।

वह बड़े लॉयर्स को हायर नही कर सकता है । जो किसान की और गरीब की समस्या है, जुबैर जैसे जर्नलिस्ट लोग या दूसरे जर्नलिस्ट, जो इस देश में डेमोक्रसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेलों में रखा जाता है । वे बड़े लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं ।

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जूडिशियल सिस्टम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को आर्बिट्रेशन अच्छे से करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए । यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन इंडिया में हो, उसके लिए हम समर्थन करते हैं । लेकिन, हमें अपने गिरेबान में झांककर देखने की जरूरत है । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

[کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill بِل 2022 پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آربِٹریشن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا جیوڈیشیل اسٹرکچر ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہئیے کہ کس طریقے سے کروڑوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ اس کے لئے سرکار کو جو کرنا چاہئیے، وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ڈِسٹرکٹ بنے ہوئےایک ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ کی مانگ کئی دہائیوں سے کی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ نہیں ہو پایا ہے۔ کچھ نہ کچھ بہانہ مل جاتا ہے۔ انٹر نیشنل آربِٹریشن سینٹر دہلی میں بنے اس میں کوئی دِقّت نہیں ہے۔ وہ بننا چاہیے، لیکن یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے لائرس ہیں، آپدا میں اوسر تلاش کیا گیا، مجھے معاف کیجیئے گا، میں وزیرِ قانون سے کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے لائرس ہیں، وہ لندن میں اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر ویڈیوں کانفرنسنگ سے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہاں پر ہیں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہےاس کو آج کی تاریخ میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ بڑے لائرس کو ہایر نہیں کر سکتا ہے۔ جو کسان اور غریب کے مسائل ہیں، زبیر جیسے جرنلسٹ لوگ یا دوسرے جرنلسٹ، جو اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ بڑے لائر ہائر نہیں کر سکتے ہیں۔

میں آپ ک ذریعہ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر جیوڈیشیل سسٹم کے اندر وزیرِ قانون صاحب کو آربِٹریشن اچھے سے کرنا چاہئیے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہئیے۔ یہ ٹھیک ہے انٹر نیشنل آربِٹریشن انڈیا میں ہو، اس کے لئے ہم سمرتھن کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ۔ بہت بہت شکریہ ۔۔

(ختم شد)]

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here just to ask two very small questions to the hon. Law Minister of India. I cannot believe that he has brought in this Bill just to change the name. There is really nothing else in this Bill. I think this is really a colossal waste of time of the Parliament. It is just appalling. I have just two questions. This Bill is not for the common man. This is for New Delhi international Arbitration Centre. So, this is obviously for the big boys. A reply from the Government of India in Rajya Sabha states that high net worth individuals of India are leaving India. My friend, Shri Pinaki Mishra also spoke at length last week about it that most high net worth individuals are leaving this country and they prefer a foreign passport over an Indian passport. That is point number one. The point number two is that a lot of my colleagues talked about all the big lawyers, the big boys, who are leaving our country and they prefer arbitration in England. They prefer to live in England. It is not just that all the big investors are leaving, but there is the problem of brain drain also. All the big lawyers are preferring to leave India. Have you ever thought of that for a moment? While you are trying to make an international centre, why are the so-called crème de la crème of India, be it the intellectual lawyers, be it the industrialists, leaving India? Let us not take the socialist line. Let us take, for a moment, the capitalist line which our Government likes. Why are all these people who generate wealth and jobs in this country leaving this country? I am giving you two small examples. Look at Cairn Energy and Reliance. This has happened in your duration. Was it just because of a petroleum issue or the Amazon Future Group and the Reliance dispute? They have not chosen India as

an option. Unfortunately, the Future Group has almost become an NPA, which was one of the finest companies in this country. So, why do the big companies like Reliance choose Singapore or Britain as an arbitration centre and not India? Why do you not introspect on this to improve and strengthen the system instead of bringing the law just for changing the name? अपने गिरेबान में झांककर देखिए, कुछ तो कम पड़ रहा है । इसलिए, सब छोड़कर जा रहे हैं । It is very easy to do all the jingoism that this Government does. It is all wonderful. But you are bringing in an international centre for the big boys, the big industrialists who you expect to be a part of this arbitration centre. But they are preferring Singapore over India. Then, why are we wasting our time on this? I need a reply on this. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

An efficient adjudicative mechanism has a key role in promoting investment, industrial growth and generation of employment, and the overall development of a country.

Sir, the investors – domestic and foreign – feel encouraged and confident to invest in a country if they find that country has an efficient justice delivery mechanism. The Alternative Dispute Resolution mechanism, over the years, has emerged as a main source of main tool, a key role in adjudication of the disputes. In that background, this Bill is a right step in the right direction because most of the hon. Members have voiced their concern why people should people flock to other places for arbitration. It is because we did not have an efficient mechanism here in the country. If the change itself may not convey much, it does give an impression or it does, at least, bely that impression that: "No, we do not

have an efficient adjudicative mechanism or an alternative dispute mechanism of arbitration in the country.

When our people flock, go to Hong Kong or Singapore, or London or other places, they go there because there is a clause in the agreement, 'jurisdiction at London' etc. Why do they insist on it once they enter into an agreement with our investors or collaborate with them? It is because they say that we do not have an efficient dispute resolution mechanism in the country. So, we also readily agreed upon it. It has now been proposed by the hon. Minister. Section 15 tells us that the Centre will facilitate arbitration. Once it is there, that argument or that plea will no more be available to our foreign investors.

I think, this is a right step in the right direction. I support this Bill. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर एक आस्था का केन्द्र खाटू श्याम जी है, उस मंदिर के प्रांगण में दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई । लाखों लोग थे, वहां की इंटेलीजेन्स फेल थी, तीन लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए । मेरा निवेदन है कि केन्द्र वहां पर एक टीम भेजे । आप एक सीआई को सस्पेंड करके संदेश नहीं दे सकते ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : विषय क्या है?

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, … * मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Please speak on the Bill. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) …*

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मेरा निवेदन है । मैं बिल पर आ रहा हूं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You may make your submission after this. Here, you speak on the Bill only.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Beniwal-ji, you please speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill. Hon. Speaker has given you the permission to speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That cannot be done like this.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं । अधीर रंजन जी, मैं आपके खिलाफ थोड़े ही बोल रहा हूं । आप बैठ जाइए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माध्यस्थम् केन्द्र (संशोधन) विधेयक पर बोलिए ।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. Nishikant Dubey.

… (*Interruptions*)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, these remarks may be removed from the proceedings.

HON. CHAIRPERSON: I have already given my instructions.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सभी को सुन रहा था । पिछले 75 सालों में इस देश का जो माहौल शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है । जबसे हमने सन् 1947 के बाद स्टार्ट किया, तो लाइसेंस परमिट और कोटा राज में चले गए । एक सर्टन हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है । मैं किसी को ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं ।

दूसरा जो सरकार ने आजादी के बाद किया, वह यह किया कि सरकार को बिजनेस करना है । यदि स्टील बनाना है तो सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है तो सरकार को बनाना है, कार बनानी है तो सरकार को बनानी है, पिन बनानी है तो सरकार को बनानी है । एक-दो जो बिजनेसमैन थे, वे 'कोटा परमिट लाइसेंस राज' में थे । इस कारण से हमारे यहां पर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट्स डेवलप नहीं हुए । सन् 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ । अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है । भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे-धीरे मुझे यह लग रहा है कि सरकार सारे बिजनेस खत्म कर देगी और इस पार्लियामेंट का जो बेसिक काम कानून बनाने का है या सरकार का जो बेसिक काम पॉलिसी में जाने का है, उसके लिए हमें लगता है कि एक-दो सेक्टर्स को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए और यही पूरी दूनिया की रीत है । ग्लोबलाइजेशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में एक नई क्रांति स्टार्ट की थी, उस कारण से इसकी आवश्यकता है ।

अब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा । जबकि स्मॉल स्केल सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा तथा भारत के बिजनेसमैन का पार्टनर बाहर का नहीं होगा । जब यह सिचुएशन डेवलप होगी तो सारे डिस्प्यूट्स बाहर होंगे । मान लीजिए बड़े-बड़े लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे । अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे, उन डिस्प्यूट्स के लिए शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, वे उस एग्रीमेंट के पार्ट नहीं होंगे इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि आप यह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं ।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है । ये जो कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करती हैं, उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम इंडिया के अंदर रिजॉल्व करेंगे । हम दिल्ली के अन्दर जो आर्बिट्रेशन सेन्टर बना रहे हैं, यदि हम यह कर पाएं तो जो लोगों का कन्सर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं और हमने देखा भी है कि बड़े-बड़े डिस्प्यूट्स में, चाहे एन्ट्रिक्स-देवास का मामला हो या चाहे वोडाफोन का मामला हो तथा यह जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उस कारण से हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा है । एयर इंडिया के साथ तो ऐसा हो गया कि एन्ट्रिक्स-देवास के कारण पूरी दुनिया में एयर इंडिया के सारे एसेट्स ही जब्त होने लग गए ।

इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम उसे एग्रीमेंट का पार्ट बना देंगे तो इसका फायदा हो पाएगा और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैंने प्रारम्भ में जैसा अनुरोध किया, उस हिसाब से हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बहुत लंबी बात नहीं रखी । हम यह भी मान सकते हैं कि इस बिल पर 100

प्रतिशत मैम्बर्स ने सपोर्ट किया है । इवन, दादा ने सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया है । हम उनके भाव को समझ सकते हैं ।

सभापति जी, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यह एक छोटा सा अमेंडमेंट है । कभी-कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है । A small step can be a giant leap at times. आप यह मत समझिए कि यह एक छोटा अमेंडमेंट है । इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा । कभी-कभी लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कभी-कभी नाम ही सब कुछ होता है । इसलिए जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुल 36 आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन्स हैं और सब शहरों के नाम हैं । खासकर महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात तथा कर्नाटक में है । इसके अलावा कई जगहों पर कई सालों से एड्हॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म चलता आ रहा है । दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर ऑलरेडी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन काम करता है । दिल्ली हाई कोर्ट से जिस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रैफर करना है तो वह अपने सेन्टर में रैफर कर देता है । कभी-कभी कोर्ट अपने हिसाब से भी अपॉइंट कर देते है । आज जब नाम में चेंजेस की बात आ रही है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कभी-कभी नाम से कंफ्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी होता है । जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम से आर्बिट्रेशन सेन्टर है । जब भारत सरकार पहल करके, संसद में बिल को पारित करके एक सेन्टर को गठित कर रही है तो उसका स्तर भी उसी लेवल पर बनना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए ।

जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें हमको देखनी पड़ती हैं । इसमें ऐसा कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि यह जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, this is one of the arbitration centres in the country, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि it is a centre of national importance. जब पार्लियामेंट के एक्ट से पास करते हैं तो उसका एक महत्व होता है । इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में दिल्ली

इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक सेंटर बनाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होता है । दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2019 में बिल लाए थे तो आज फिर दोबारा लाने की क्या जरूरत है । डायनामिक सिचुएशन में, जैसी परिस्थिति है, अगर हम उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर यह संसद है किसलिए? संसद इसीलिए है कि जब-जब देश के लिए कोई जरूरी कानून बनाना होता है, तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है । माननीय सदस्य को खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हम सूझबूझ के साथ, जरूरत के हिसाब से आज यह अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं ।

जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो यह पूरे देश का प्रतीक होता है, एक शहर का नहीं होता है, अन्यथा लोग सोचेंगे कि क्या यह दिल्ली वालों के लिए है । दूसरे कई मेंबर्स ने कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं । में सारे सुझावों को सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूं ।

सबसे पहले, आप लोगों का एक प्रश्न था कि आज तक भारत में आर्बिट्रेशन सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं और कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत के बिजनेसमेन कोई डिसप्यूट होने पर विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, हाँगकांग या कहीं और क्यों चले जाते हैं । हमारे देश में भी कई आर्बिट्रेशन्स के काम चल रहे हैं, लेकिन आज एड-हॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है । उनको कम्फर्टेबल लगता है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन में हमारे यहां काम चलते रहना चाहिए । जो एक बड़ा वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है । इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों को क्लियर करने के लिए दो पॉइंट्स बता देता हूं । Why is its an advantage to have institutional arbitration? First of all, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally provide for an arbitration procedure and it saves the parties' and their lawyers' efforts of determining the arbitration procedure. Some institutions also provide the

service of drafting an arbitration clause. जब हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बनता है तो वे पार्टीज को मदद करते हैं । जैसा निशिकांत जी ने कहा कि उसमें ऐसा क्लॉज होना चाहिए, इस बिल के पास होने के बाद, चूंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार के हर बड़े कांट्रैक्ट में यह क्लॉज दिया जाएगा और उस क्लॉज के तहत, जो भी केसेज उत्पन्न होंगे, वे इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किए जाएंगे । इसके बाद, इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होंगे और जब आपके पास क्वालीफाइड, इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, तो उनमें कांफिडेंस होता है और जब कांफिडेंस होगा, तब लोग आएंगे । आप चाहते हैं कि भारत ट्रूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए तो आपको खुले दिल से इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहा है । इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई और कई माननीय सदस्यों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया तो मैं आपको एक-दो पॉइंट्स बताता हूं कि सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है । एक, सिंगापुर की जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ-साथ, लोग उसे एक न्युट्रल वेन्यू के रूप में देखते हैं । छोटा देश है, लेकिन उसका एक हाइली एफिशिएंट सिस्टम वहां है । कोई भी पार्टी डिसप्यूट होने पर सिंगापुर जाने को प्रिफर करती है ।

अभी लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं और चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया साथ में थे । मैंने कई लोगों से बात की, ईवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन में जो एमपीज़ हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मैम्बर्स हैं और बाकी लोगों से मैंने बात की । सब ने एक चीज कही है और मुझे उन लोगों की बात सुनकर अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है और आर्थिक ताकत है । इण्डिया की ओर लोग देख रहे हैं । आने वाले दिनों में इण्डिया ही एक मेज़र आर्बिट्रेशन का हब बनेगा, यह कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है । जब भारत की ओर लोग देख रहे हैं तो हमें प्रोएक्टिव होकर जो-जो कदम उठाने चाहिए तो वे भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से उठाने चाहिए । हमने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना ली है । वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री जी ने एक विज़न हमारे सामने रखा, मैं उसे कोट करना चाहता हूं । जब दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 'National

initiative towards strengthening arbitration and enforcement in India.' उसमें प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं उसे कोट करना चाहता हूं । "An enabling alternative dispute resolution ecosystem is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pound famously remarked, "The law must be stable, but it must not stand still." We need to take inspiration from beyond our source." इसलिए जब हम एक इण्टरनेशनल हब की बात करते हैं तो हमारे यहां पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए । हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं और जो कम्पोज़िशन है, उसको बनाने में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ।

सर, कई मैम्बर्स ने इसके अलावा जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि पेण्डिंग ऑफ केसेज़ । यह एक तरह से बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसी तरह ये हमें एक बहुत बड़ा रास्ता दे रहे हैं । जब हम कहते हैं कि इस देश में टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज़ पांच करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कई कारण हैं । इस सदन के सांसद होने के कारण, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण हमें यह जानकारी होनी आवश्यक है । ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं कि जजेज़ लोग काम क्यों नहीं करते हैं? लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, पांच करोड़ केसेज़ पेंडिंग होने वाले हैं, आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जजेज़ के ऊपर अटैक करते हैं कि इन जजेज़ ने इतने केसेज़ को पेंडिंग क्यों रखा है? वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले डिस्पोजल ऑफ द केसेज़ कई गुना बढ़े हैं । आज मान लीजिए एक जज के पास पचास केस डिस्पोज होते हैं तो सौ केसेज नए भी आते हैं । भारत उभर रहा है, सबको अवेयरनेस आई है, सब कोर्ट जा रहे हैं ।

17.24 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

जब कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो सब वकील को पकड़ते हैं और कोर्ट चले जाते हैं । उस हिसाब से मैं मानता हूं कि जो पेंडिंग ऑफ केसेज़ है, यह बहुत

तेजी से आगे बढ़ रहा है । इसकी चिंता सबको करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए और इस सदन को भी करनी चाहिए और साथ-साथ ज्यूडिशियरी को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 80 परसेंट से ज्यादा पेंडिंग केसेज़ लोअर कोर्ट्स में हैं । लोअर कोर्ट्स के जो जजेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं, सेशन कोर्ट के जजेज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन जजों की नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट की देख-रेख में होती है । उसमें भारत सरकार सीधा-सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है । हाई कोर्ट के जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का रोल होता है । भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेज़ में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेज़ पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर में कितने हैं, इसको देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हां, हमारे जजेज़ मेहनत करते हैं । आजकल जजेज़ बहुत ज्यादा केसेज़ डिस्पोजल कर रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट में भी एक-एक जज ऐवरेज में कम से कम 40 से 50 केसेज़ को डिस्पोज करते हैं । दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है ।

लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केसेज आते हैं कि उनको डिसपोज करने का जितना प्रयास करें, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । सबको मिल कर इसकी चिंता करनी है ।

इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया गया है । मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अभी आंकड़ों के बारे में नहीं कहूंगा, भाषण बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा । मैं प्रश्न काल में भी बताता हूं । वर्ष 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, वे काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने उसे पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ाया है । माननीय हाई कोर्ट्स से नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना बढ़ाया है । हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं । हम वह सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम के माध्यम से वह देते हैं । हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन राज्य को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा । राज्य सरकार और हमें मिलकर इसको देखना है । यह कोई विवाद का विषय नहीं है । यह मिलकर काम करने की चीज है ।

सर, आपने हमें एक निश्चित समय दिया है । मेरे पास कुछ तर्क थे, लेकिन अभी साढ़े पांच होने वाले हैं । अगर आप पांच मिनट का समय देंगे, तो अपनी बात मैं खत्म कर सकता हूं ।...(व्यवधान) दो मिनट ।...(व्यवधान)

क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां आए हैं, मेरे पास तर्क और जवाब भी हैं एवं मुझे कॉंफिडेंस भी है कि मेरा जवाब पूरा होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं । ऐसे तर्क मेरे पास हैं । फिर भी मुझे यहां समय की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की इजाजत नहीं है । मुझे माननीय स्पीकर साहब ने इसकी इजाजत नहीं दी है ।

फिर से, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । खासकर उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है – डॉ. अमर सिंह जी, रमेश बिधूड़ी जी, प्रो. सौगत राय जी । मैं सौगत राय जी के बारे में जरूर कहूंगा कि आप पढ़े-लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े-लिखे होने के साथ-साथ नई-नई जो घटनाएं घटती हैं, जो अपडेट होते हैं, उनको भी पढ़िए । आप कुछ सवाल करते हैं । आपने मुझसे बिल्कुल गलत एक प्रश्न किया । आपने कहा कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिसप्यूट रेजोल्यूशन को खत्म करके एनडीआईएसी बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है । वह आईसीएडीआर इंडिपेंडेंट बॉडी है । हमने इसको खत्म करके ऐक्ट नहीं बनाया है । आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी-कभी बोल देते हैं और मेरे क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं । आपने जो गलत बात कही है, वे उसको सच मानते हैं । ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए । ... (व्यवधान) इसलिए हम इस सदन में जो भी कहें, सोच-समझ कर, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमें अपनी बात रखनी चाहिए ।

सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे, तो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और हमारे पास बिजनेसेज बाहर से भी आएंगे । हिन्दुस्तान में इतनी ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉरपोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया की दुनिया में जो पोजिशन है,

वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशंस के रूप में उभर कर आएगा । जिन्होंने हमें इसमें समर्थन दिया है, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी, सुप्रिया सुले जी और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जी, ये जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं । उन्होंने कश्मीर में जाकर उस दिन मेरे बारे में, हमारी सरकार के बारे में और प्रधान मंत्री जी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं । आप जज हैं । आप सच बात कहते हैं और आपने कहा है कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया है, वह सराहनीय है । आपने यह कहा है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

इनके साथ-साथ हनुमान बेनिवाल जी को बोलने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन वे अपनी बात नहीं कह पाए । वे दूसरे विषय पर चले गए । निशिकांत दुबे जी ने अपना तर्क सरकार के पक्ष में रखा है । जो माननीय सदस्य नहीं बोले, मुझे सिर्फ मन से समर्थन दिया है, मुझे मालूम है, इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

____